

1699  
2021

रिपोर्ट प्रतिसारी हस्ता/आदेशपत्राचार 2157-16/2021

SIR प्रकृत डोक्युमेंट के आधार पर (कलेक्टर के नाम से) प्रती  
आवेदक के नाम का सुविधा पुत्री नामा शुद्ध वि. का नाम रखा है

क्रमांक : राजस्व/2020/1615-16 दिनांक :- 24/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदक पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिलेखा की जाती है/की जाती है।

~~उक्त किता जाकी उचित है।~~

24/11/21  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला सुन्तुर (राज.)  
-: आदेश :-

दिनांक :- 24/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निर्माकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुडाकूर	2075-78	249	सिरस पुत्री नाम	सुविधा पुत्री नाम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (सुन्तुर)  
दिनांक :- 24/11/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/1615-16  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (सुन्तुर)